[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 14/2014 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 2014

30, फाल्गुन, शक, 1935

सा.का.नि.   (अ), - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 में और आगे संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 12 गगग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"12 गगग- कतिपय मामलों में प्रतिबंध लगाने का अधिकार- इन नियमों में किसी भी बात के होने के बावजूद केन्द्र सरकार का, कर अपवंचन, अपराधों के स्वरूप अथवा प्रकार अथवा अन्य संगत कारकों के आलोक में यदि यह मत हो कि कर अपवंचन को रोकने अथवा उत्पाद शुल्क के भुगतान में चूक को रोकने के लिए, लोकहित में निर्माता, प्रथम चरण और द्वितीय चरण डीलर अथवा किसी निर्यातक पर प्रतिबंध लगाने सहित कतिपय उपायों का प्रावधान करना लोकहित में आवश्यक है तो यह किसी डीलर के मामले में पंजीकरण को रद्द करने, वापस लिए जाने वाली सुविधाओं के प्रकार और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए जाने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने सहित लगाये जाने वाले प्रतिबंधों के स्वरूप, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन से एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 140 (अ), के अंतर्गत दिनांक 12 मार्च, 2012 को प्रकाशित दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना 05/2012- सीई (गै.टे.) के तहत् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार शुरू किया गया प्रत्येक प्रस्ताव, जो लंबित है, इस नियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार शुरू किया गया प्रस्ताव माना जाएगा तथा उस पर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।"

फा.सं. 267/13/2013-सीएक्स-8

(पंकज जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 143 (अ), के अंतर्गत दिनांक 1 मार्च, 2002 को दिनांक 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना 04/2002-सीई (गै.टे.), के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 134(अ), दिनांक 1 मार्च, 2014 के अंतर्गत दिनांक 28 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. 08/2014 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।